

# लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक / स्था.4 / सी / अं.जि.स्थानां. / 21 / 2012 / 708

भोपाल, दिनांक 13/7/2012


// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर लिपकीय संवर्ग के अंतर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

क्र.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित कार्यालय / जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती विभा मिश्रा सहायक ग्रेड-3 UNIQUE BU 8324	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला शहडोल	रीवा
2	श्री सहदेव सिंह कुशवाह सहायक ग्रेड-3 UNIQUE A 14666	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला दतिया	भिण्ड
3	श्री हरेन्द्र कुमार बंशीवाल सहायक ग्रेड-3 UNIQUE BR 6917	शासक उपायुक्त मेहतवाड़ा जिला सीहोर	राजगढ़
4	श्री अमित रंगरे सहायक ग्रेड-3 UNIQUE BU 7700	कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला सिवनी	बालाघाट
5	श्री आशीष सोलापुरकर गणक UNIQUE BN 4710	शासक हाईस्कूल सिविल लाईन जिला दतिया	ग्वालियर
6	श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा भृत्य UNIQUE bp 8852	शासक उपायुक्त पथरौला जिला सीधी	शहडोल
7	श्री बलीराम सांवलिया भृत्य UNIQUE AM 7889	शासक उपायुक्त कलारिया जिला इन्दौर	बडवानी
8	श्री अशोक कुमार जाटव भृत्य UNIQUE BF 628-5628	शासक हाईस्कूल बामौरी शाला विकास खण्ड सिरोंज जिला विदिशा	मुरेना
9	श्री विनयतोष मरावी लेखापाल UNIQUE	शासक बालक उपायुक्त चंदला जिला छतरपुर	डिण्डोरी
10	श्री सज्जाद खान सहायक ग्रेड-3 UNIQUE BJ 9382	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला झाबुआ	रतलाम

11	श्री अशोक सोनकेशरिया सहायक ग्रेड-1 UNIQUE AY 7990	कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी केवलारी जिला सिवनी	जबलपुर
12	श्री राजू सिंह जादोन सहायक ग्रेड-3 UNIQUE BU9005	कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बदरावस जिला शिवपुरी	दतिया
13	श्रीमती जगवती नगपुरे भृत्य UNIQUE AZ5362	शाखा हाई स्कूल कनारी जिला सिवनी	जबलपुर

- 2/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 6-2/2012/एक/9, दिनांक 01.05.2012 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2012-13 के अनुक्रम में स्थानांतरित जिले/स्थान में पद रिक्त होने की पुष्टि उपरांत ही संस्था में रिक्त पद पर पदस्थापना की जाए।
- 3/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 4/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये।
- 6/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वासन व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से रात्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे। यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विस्तंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 7/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थानांतरित जिले के स्थानांतरित कर्मचारी की जिले में पदस्थापना आदेश 7 दिवस में जारी करना होगा।
- पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन पदस्थापना पर तत्काल उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।  
(प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार)

  
(अरुण कोचर) 13/7/12  
आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

## लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक / स्था.4 / सी / अं.जि.स्थानां. / 19 / 2012 / 116

भोपाल, दिनांक 13/7/12

// आदेश // भूय

निम्नांकित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर लिपिकीय/संवर्ग के अंतर जिला स्थानांतरण समान सामान्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित कार्यालय/ जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती अनिता देवीकर भृत्य, UNIQUE AZ 7383	शा0उ0मा0वि0 गंगेरुआ जिला सिवनी	बलाघाट
2	श्री मोहम्मद रज्जाक सिददीकी भृत्य, UNIQUE BQ 7787	शास0उ0मा0वि0 भरतपुर जिला सीधी	सतना
3	श्री देवलाल सोनकर भृत्य UNIQUE AF 9912	शास0हाइस्कूल नाहरपुर जिला छतरपुर	ग्वालियर
4	श्री ललित कुमार मांझी भृत्य UNIQUE AX 3473	कार्या0विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी हनुमना जिला रीवा	ग्वालियर
5	श्री नरेन्द्र कुमार राठौर भृत्य UNIQUE BU 8505	शा0कन्या उ0मा0वि0कालापीपल जिला शाजापुर	खरगोन
6	श्री योगेन्द्र शाक्य सहायक ग्रेड-3 UNIQUE BU 9176	कार्या0 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी गोटेगांव जिला नरसिंहपुर	दतिया
7	श्री रविन्द्र कुमार कावडे सहायक ग्रेड-3 UNIQUE BU 8598	शास0हाइस्कूल बम्होरी कला जिला नरसिंहपुर	बालघाट
8	श्री अजय कुमार नेवरे भृत्य UNIQUE BP 1200	शा0बालक उ0मा0वि0 जिला नीमच	बालाघाट
9	श्री मनोज कुमार बडीचर भृत्य UNIQUE AG 5879	शा0उ0मा0वि0पगारा वि0 परासिया जिला छिंदवाडा	बालाघाट

2/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 6-2/2012/एक /9, दिनांक 01.05.2012 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2012-13 के अनुक्रम में स्थानांतरित जिले/स्थान में पद रिक्त होने की पुष्टि उपरांत ही संस्था में रिक्त पद पर पदस्थापना की जाएं ।

3/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

4/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये।

6/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे। यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।

7/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थानांतरित जिले के स्थानांतरित कर्मचारी की जिले में पदस्थापना आदेश 7 दिवस में जारी करना होगा।

पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्त उपरांत कर्मचारी को नवीन पदस्थापना पर तत्काल उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

(प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार)

( सभाजीत यादव )

संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 13/7/2

पृष्ठांक./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./<sup>19</sup>~~21~~/2012/717  
प्रतिलिपि:-

- 01 निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्रो, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- 02 निज सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- 03 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वृन्तभ-भवन, भोपाल।
- 04 संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर/रीवा/सागर/ग्वालियर/उज्जैन/संभाग मध्यप्रदेश।
- 05 सहायक संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- 06 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सिवनी/बालाघाट/सीधी/सतना/छतरपुर/ग्वालियर/रीवा/शाजापुर/खरगोन/दतिया/नरसिंहपुर/दत्तिया/बालाघाट/नीमच/छिन्दवाडा 0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
- 07 संबंधित की ओर सूचनार्थ

संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

## लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था.4/सी/अ.जि.स्थानां./ 27/2012/ 718

भोपाल, दिनांक 13/7/12

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर लिपकीय संवर्ग के अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला.	स्थानांतरित कार्यालय/ जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्री पी०एल राकेशिया लेखापाल UNIQUE AB 5472	कार्या० जिला शिक्षा अधिकारी जिला जबलपुर	नरसिंहपुर (आपसी)
2	श्री लक्ष्मण प्रसाद कोष्टा लेखापाल UNIQUE A Q 4060	शा०चंदनदेवी हाइस्कूल रोंसरा जिला नरसिंहपुर	जबलपुर (आपसी)
3	श्री कुलदीप मालवीय सहायक ग्रेड-3 UNIQUE AA 7304	शास०उ०मा०वि० मरदानपुर तह०बुधनी जिला सीहोर	शाजापुर
4	श्री सचिन तिवारी सहायक ग्रेड-3 UNIQUE BU 8414	शा०उ०मा०वि०कलडी किल्लोद जिला खण्डवा	इन्दोर
5	श्री देव प्रसाद कुशवाहा सहायक ग्रेड-3 UNIQUE BU 7028	कार्या० जिला शिक्षा अधिकारी जिला सिंगरोली	सतना

2/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र परिपत्र क्रमांक/एफ 6-2/2012/एक /9, दिनांक 01.05.2012 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2012-13 के अनुक्रम में स्थानांतरित जिले/स्थान में पद रिक्त होने की पुष्टि उपरांत ही संस्था में रिक्त पद पर पदस्थापना की जाएं ।

3/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी ।

4/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।


5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये ।

6/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे। यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।

7/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थानांतरित जिले के स्थानांतरित कर्मचारी की जिले में पदस्थापना आदेश 7 दिवस में जारी करना होंगे।

पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन पदस्थापना पर तत्काल उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।


(प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार)

  
( सभाजीत यादव )  
संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./ ~~27~~<sup>27</sup>/2012/ 719  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 13/7/12

- 01 निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- 02 निज सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- 03 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल।
- 04 संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/रीवा/संभाग मध्यप्रदेश।
- 05 सहायक संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- 06 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला जबलपुर/नरसिंहपुर/सीहोर/शाजापुर/खडवा/इन्दौर सिंगरोली/सतना/म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
- 09 संबंधित की ओर सूचनार्थ

  
संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश